न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

आपराधिक प्रकरण कमांकः-706 / 2016 संस्थित दिनांकः-15 / 11 / 16

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद जिला–भिण्ड म०प्र0

> > <u>अभियोजन</u>

बनाम्

1. बंटी माहौर पुत्र आदिराम माहौर उम्र 22 वर्ष निवासी— नहर मोहल्ला इटायली गेट, गोहद जिला भिण्ड

<u>आरोपी</u>

(आरोप अंतर्गत धारा— 25 (1—बी) (बी) आयुद्ध अधिनियम) (राज्य द्वारा — एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपी द्वारा — अधि० श्री उदल सिंह गुर्जर)

<u>// निर्णय //</u>

//आज दिनांक 26.02.18 को घोषित किया//

आरोपी पर दिनांक 01.11.2016 को 19:50 बजे जेल के पास माता मंदिर गोहद में लोकस्थान पर आयुद्य अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0 शासन की अधिसूचना क0 6312—6552—11—बी(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक लोहे की पुरानी धारदार तलवार अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.2016 को पुलिस थाना गोहद के आरक्षक भोला परस्ते की ड्यूटी डायल 100 पर थी। ड्यूटी के दौरान 19:35 बजे 100 डायल पर सूचना मिली थी कि जेल के पास काली माता के मंदिर पर एक लड़का उत्पात मचा रहा है। सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु वह मौके पर पहुंचा था, तो वहां एक लड़का लाल बनियान एवं काला पेंट पहने, हाथ में नंगी तलवान लिए हुए उधम कर रहा था, जिसे माता मंदिर के पुजारी नाथू कुशवाह एवं रिव गुर्जर के समक्ष पकड़ा था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बंटी माहौर बताया था। आरोपी को वह मय तलवार एवं साक्षियों सहित थाना लेकर आया था। आरोपी से

पुलिस थाना गोहद में तलवान की जब्ती की गई थी एवं तत्पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अपराध क0 321/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगणे कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्तानुसार आरोपी के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपी को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया ।
- 4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंटा फंसाया गया है
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है—
 1.क्या आरोपी ने दिनांक 01.11.2016 को 19:50 बजे जेल के पास माता का मंदिर
 गोहद में लोकस्थान पर आयुद्य अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0 शासन की
 अधिसूचना के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक लोहे की पुरानी धारदार तलवार अपने
 आधिपत्य में रखी ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन के ओर से रविकांत पाराशर अ०सा० 1, आरक्षक भोला सिंह परस्ते अ०सा० 2, नाथूराम अ०सा० 3 एवं उपनिरीक्षक शिवप्रताप सिंह कुशवाह अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया। जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण } विचारणीय प्रश्न क0—1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में उपनिरीक्षक शिवप्रताप सिंह कुशवाह अ०सा० 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 01.11.2016 को चालक रविकांत पाराशर एफ0आर0बी० ड्यूटी पर था, उसके साथ आरक्षक भोला परस्ते ड्यूटी पर थे। उन्हें डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि जेल के पास काली माता मंदिर के पास एक लड़का उत्पात मचा रहा है। वह लाल बनियान एवं काला पेंट पहने, हाथ में नंगी तलवार लेकर उघम कर रहा था, जिसे आरक्षक भोला परस्ते ने पकड़ा था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बंटी माहौर बताया था। आरोपी को आरक्षक भोला परस्ते मय तलवार थाने लेकर आये थे। उसने आरोपी से थाने में लोहे की पुरानी तलवार जिसमें पकड़ने की मूठ लगी थी, जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी० 1 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनाम प्र0पी० 2 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसने आरोपी के विरूद्ध प्र0पी० 5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर

हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टीकल ए—1 की तलवान वही तलवार है, जो उसने आरोपी से जब्त की थी।

- 8. प्रतिपरीक्षण के पद क0 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि एफ0आई0आर0 लिखने से पांच मिनिट पहले भोला परस्ते व बंटी माहौर आ गये थे। पद क0 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि बंटी माहौर जब थाने पर लाया गया था, तब उसके पास तलवान नहीं थी। तलवार स्टॉफ लेकर आया था, तलवार कौन लेकर आया था, उसे ध्यान नहीं है। पद क0 6 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि नाथूराम किस वाहन से आया था, उसे जानकारी नहीं है। स्टॉफ और बंटी माहौर के साथ नाथूराम भी आया था। बंटी माहौर से उसने कहा था कि तुमसे जो तलवार जब्त हुई है, वह लेकर आओ, तब बंटी माहौर ने उसे तलवार लाकर दी थी।
- 9. साक्षी रविकांत पाराशर अ०सा० 1 एवं भोला परस्ते अ०सा० 2 ने भी शिवप्रताप सिंह अ०सा० 4 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को जेल के पास काली माता मंदिर के पास जाने तथा आरोपी को मय तलवार थाने लेकर आने बावत् प्रकटीकरण किया गया है। रविकांत पाराशर अ०सा० 1 ने जब्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 के क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।
- 10. साक्षी नाथूराम अ०सा० 3 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी ने मात्र जब्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०प्री०2 के कमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने बंटी से लौहे की तलवार जब्त की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
- 11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता।
- 12. प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि उपनिरीक्षक शिवप्रताप अ०सा० 4, जो कि जब्तीकर्ता है, घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उसने आरोपी बंटी को जेल के पास माता के मंदिर के पास तलवार लिए हुए नहीं देखा था। अभियोजन कहानी के अनुसार आरक्षक भोला परस्ते आरोपी का मय तलवार थाने लेकर आया था एवं शिवप्रताप सिंह कुशवाह अ०सा० 4 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरक्षक भोला परस्ते आरोपी को मय तलवार थाने लेकर आया था एवं उसने थाने पर आरोपी से तलवार जब्त कर जब्तीपंचनामा प्र०पी० 1 बनाया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जब बंटी को थाने पर लाया गया था, तब उसके पास तलवार नहीं थी, तलवार स्टॉफ लेकर आया था, तलवार कौन लेकर आया था ?, उसे ध्यान नहीं है। इसके तुरंत पश्चात् ही उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने बंटी माहौर से तलवार लाने के लिए कहा था, तो बंटी माहौर ने उसे तलवार लाकर दी थी। इस प्रकार साक्षी उपनिरीक्षण शिवप्रताप सिंह अ०सा० 4 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा एक ही बिन्दु पर परस्पर विरोधाभाषी कथन दिये गये हैं। उक्त साक्षी द्वारा एक तरफ तो यह व्यक्त किया गया है कि बंटी के पास

तलवार नहीं थी तथा तलवार स्टॉफ लेकर आया था, वहीं दूसरी तरफ उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसने बंटी से तलवार लाने के लिए कहा था, तो बंटी ने उसे तलवार लाकर दी थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर साक्षी शिवप्रताप अ०सा० 4 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। उक्त साक्षी द्वारा एक ही बिन्दु पर परस्पर विरोधाभाषी कथन दिये गये हैं, जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

जहां तक साक्षी रविकांत पाराशर अ०सा० 1 एवं भोला सिंह परस्ते के कथन का प्रश्न हैं तो रविकांत पाराशर अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह आरक्षक भोला परस्ते के साथ गोहद चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था, तभी उसे सूचना मिली थी कि काली माता मंदिर जेल के पास कुछ लोग शराब पीकर उधम कर रहे है, सूचना की तस्दीक हेतु वह बताये हुए स्थान पर पहुंचा था, तों वहां आरोपी बंटी शराब पीकर नाथूसिंह कुशवाह से जमीन के विवाद पर झगडा करते हुए मिला था। आरोपी की मोटरसाईकिल पर तलवार लगी हुई थी फिर उसने आरोपी को मय तलवार गाड़ी बिटाकर थाने पर छोड़ दिया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रश्न सूचक पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह जब काली माता मंदिर के पास पहुंचे थे तो वहां एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लिए हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरक्षक भोला परस्ते ने पुजारी नाथूसिंह एवं रिव गुर्जर के समक्ष उस व्यक्ति को पकड़ा था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया था कि आरोपी के पास तलवार रखने बावत लाईसेंस नही थी। प्रतिपरीक्षण के पद क0 3 ने उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि तलवार मोटरसाईकिल में लगी थी। मौके पर कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी, थाने पर लिखा पढ़ी की थी। उसे नाथूराम कुशवाह ने बताया था कि बंटी और उसके मध्य रास्ते का विवाद चल रहा था। पद क0 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि नाथूराम कुशवाह और रवि थोड़ी देर बाद थाने आ गये थे। थाने पर तलवार की लिखा पढी हुई थी और क्या लिखा पढी हुई थी, उसे ध्यान नहीं है। उसका काम तो छोड़ने का होता है, वह मुल्जिम को थाने छोड़कर आ गये थे। आधा पौने घंटे बाद वह जब बापस पहुंच थे, तब तक पुलिस ने लिखा पढी कर ली थी, उसने तो मात्र कागजों पर हस्ताक्षर किये थे।

14. इस प्रकार रविकांत पाराशर अ०सा० 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे काली माता मंदिर के पास आरोपी बंटी शराब पीकर नाथू कुशवाह से जमीन के विवाद पर झगड़ा करते हुए मिला था, परन्तु यह बात आरक्षक भोला परस्ते अ०सा० 2 एवं नाथू अ०सा० 3 द्वारा नहीं बताई गई है, न ही इस तथ्य का उल्लेख रविकांत पाराशर अ०सा० 1 के पुलिस कथन प्र०पी० 3 में यह वर्णित नहीं है कि आरोपी नाथूराम कुशवाह से झगड़ा कर रहा था। इसके अतिरिक्त रविकांत पाराशर अ०सा० 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि तलवार आरोपी की मोटरसाईकिल में लगी हुई थी लेकिन उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किया गया है, तब उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था एवं उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है, तो उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि तलवार आरोपी की मोटरसाईकिल में लगी हुई थी, इस प्रकार साक्षी रविकांत पाराशर अ०सा० 1 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी अपने परीक्षण के दौरान अपने कथनों पर स्थिर नहीं रहा है।

उक्त साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में एक ही समय में एक बिन्दु पर परस्पर भिन्न भिन्न कथन दिये गये हैं। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी को थाने छोड़कर चला गया है तथा जब वह बापस आया था, जब तक पुलिस ने लिखा पढ़ी कर ली थी एवं उसने मात्र कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि उक्त साक्षी के समक्ष जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं गिफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 2 की लिखा पढ़ी नहीं हुई थी एवं उक्त साक्षी द्वारा मात्र जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 2 पर बाद में हस्ताक्षर किये गये थे। उपरोक्त तथ्य जब्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।

- 15. साक्षी रिवकांत पाराशर अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि तलवार आरोपी की मोटरसाईकिल में लगी थी, जबिक भोलासिंह परस्ते अ०सा० 2 द्वारा यह व्यक्त किया है कि आरोपी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए था। साक्षी रिवकांत पाराशर अ०सा० 1 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि नाथू कुशवाह और रिव उसके थाने आने के थोड़ी देर बाद थाने पर आ गये थे, जबिक शिवप्रताप सिंह अ०सा० 4 का कहना है कि स्टॉफ एवं बंटी माहौर के साथ ही नाथूराम भी आया था, इस प्रकार उक्त बिन्दुओ पर साक्षी रिवकांत पाराशर अ०सा० 1 के कथन, भोला सिंह परस्ते अ०सा० 2 एवं शिवप्रताप सिंह अ०सा० 4 के कथन से विरोधाभाषी रहे है, जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 16. साक्षी भोला सिंह परस्ते अ०सा० 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसकी डायल 100 पर ड्यूटी थी एवं उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि काली माता मंदिर के पास एक लड़का तलवार लिए घूम रहा है, सूचना की तस्दीक हेतु वह मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा था, तो उसे आरोपी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मिला था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया था कि आरोपी तलवार लिए हुए खड़ा था, उसके पास मोटरसाईकिल नहीं थी। वह लोग थाने पर एक—दो घंटे रूके थे, ऐसा नहीं हुआ था कि वह थाने पर बंटी को लेकर आये हों, और उन्हें तत्काल ही दूसरा पोईंट मिल गया हो।
- 17. इस प्रकार साक्षी भोला सिंह परस्ते अ०सा० 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी के पास मोटरसाईकिल नहीं थी, एवं आरोपी उन्हें हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मिला था, जबिक साक्षी रिवकांत पाराशर का कहना है कि तलवार आरोपी की मोटरसाईकिल में लगी थी। भोला सिंह परस्ते अ०सा० 2 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपी को थाने पर लाने के पश्चात् वह एक—दो घंटे थाने पर रूके थे, जबिक रिवकांत पाराशर अ०सा० 1 का कहना है कि आरोपी को थाने छोड़कर वह तुरंत ही दूसरे पोईंट पर चले गये थे। इस प्रकार साक्षी भोला सिंह परस्ते अ०सा० 2 के कथन रिवकांत पाराशर अ०सा० 1 के कथन से परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं, उक्त तथ्य अभियोजन घटना संदेहास्पद बना देते हैं।
- 18. अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी जेल के पास माता के मंदिर के पास तलवार लिए हुए मिला था, परन्तु आरोपी से जेल के पास माता के मंदिर के पास कोई जब्ती नहीं की गई है, उक्त संबंध में कोई पंचनामा भी नहीं बनाया गया है। आरक्षक भोला परस्ते एवं रविकांत पाराशर ने जेल के पास माता के मंदिर के पास आरोपी को तलवार सिहत पकड़ना बताया है, परन्तु उक्त संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन हाटना को संदेहास्पद बना देता है।

- समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में जब्तीकर्ता शिवप्रताप सिंह अ०सा० 19. 4 मौके पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उसके द्वारा मात्र थाने पर जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं गिरफ़तारी पंचनामा प्र0पी0 2 की लिखा पढी की गई है। उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी भी रहे है। साक्षी नाथूराम अ०सा० 3 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। साक्षी रविकांत पाराशर अ०सा०१ एवं भोला सिंह परस्ते अ०सा० २ के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान तात्विक बिदुओं पर अत्यंत विरोधाभाषी रहे हैं। उक्त साक्षीगण के कथन तात्विक बिन्दुओं पर शिवप्रताप सिंह अ०सा० ४ के कथन से भी परस्पर विरोधीभाषी रहे हैं। प्रकरण में मौके पर कोई कार्यवाहीं नहीं की गई है। रोजनामचा सान्हा भी प्रकरण में संलग्न नहीं है। जब्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करें। यदि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल होता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 01.11.2016 को 19:50 बजे जेल के पास माता मंदिर गोहद में लोकस्थान पर आयुद्य अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0 शासन की अधिसूचना क0 6312-6552-11-बी(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक लोहे की पुरानी धारदार तलवार अपने आधिपत्य में रखी। फलतः यह न्यायालय आरोपी बंटी माहौर को संदेह का लाभ देते हुए उसे आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (बी) के आरोप से दोषमुक्त करती हैं। आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है। 22.
- प्रकरण में जब्तशुदा लोहे की तलवार अपील अवधि पश्चात तोड़ तोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान:- गोहद. दिनांक:-26.02.18 निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया सही / —

सही / –

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(प्रतिष्टा अवर्स्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) ATTEMPT PARENT P

SIND SUNTY